भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

फार्म अनुभाग

फा0 सं0 : एफएस / पीपी मोडल / 48 / 2015 / 715 दिनांक : 10–12–2018

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के अविकानगर प्रक्षेत्र से पाला पत्तियो (Ziziphus nummularia) को हिस्से के आधार पर एकत्रित करवाने के लिए अधिकतम बौली के आधार पर सार्वजनिक निविदा के द्वारा दिनांक–20.12.2018 को प्रातः11 बजे संस्थान के फार्म अनुभाग पर की जावेगी। निविदा की सूचना संस्थान की बैब–साईड http://www.cswri.res.in पर भी देखी जा सकती हैं।

संस्थान प्रक्षेत्र से पाला पत्तियो को हिस्से के आधार पर एकत्रित करने के लिए नियम एवं शर्तें

1. पाला पत्तियों में अधिक प्रतिशत हिस्सा संस्थान को देने वाले को अनुबन्ध दिया जावेगा।
2. पाला पत्तियो को एकत्रित करने के लिए खुली बोली दिनांक 20–12–2018 को प्रातः11 बजे संस्थान के फार्म अनुभाग पर होगी।
3. संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र से लगभग 500 क्विटल पाला पत्तियो के एकत्रित होने का अनुमान हैं।
4. बौली में भाग लेने वाले निविदादाताओ को बौली लगाने से पूर्व प्रक्षेत्र का अवलोकन फार्म अनुभाग के प्रभारी या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियो द्वारा करवाया जायेगा।
5. संस्थान के हिस्से की पाला पत्तियो की ढुलाई हेतु ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा तथा अनुबन्धकर्ता के हिस्से की पत्तियो को स्वयं के संसाधनो द्वारा अनुबन्धकर्ता को ले जाना होगा।
6. पाला पत्तियो की रखवाली अपने स्तर पर करनी होगी व पाला पत्तियो को तैयार करने से सम्बन्धित काम आने वाले सभी प्रकार के औजार स्वंय अनुबन्धकर्ता के होंगें।
7. पाला पत्तियो का वजन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा धर्म कॉटे पर किया जाएगा। संस्थान के बॅटवारे में आने वाली पाला पत्तियो को प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा। संस्थान के पाला पत्तियो को उठाने के लिए श्रमिकों की व्यवस्था भी स्वंय अनुबन्धकर्ता को करनी होगा।
8. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश से 30–06–2019 तक रहेगी। कार्य सन्तोषजनक व समय पर पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो संस्थान द्वारा अनुबन्ध की अवधि आपकी सहमति से वर्तमान दर, नियम व शर्तो पर आगे भी बढाई जा सकती हैं। कार्य सन्तोषजनक नही रहने पर अनुबन्ध को समय से पूर्व भी बिना सूचना के रद्द किया जा सकता हैं।
9. पाला पत्तियो की रखवाली भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगा।
10. विविध कारणों से पाला पत्ति उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नही होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना / क्षतिपूर्ति नही की जावेगा।
11. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि को जप्त कर ली जायगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार का अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा।
12. संस्थान के प्रभारी, फार्म अनुभाग या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (सेक्टर प्रभारी) के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
13. निविदाकर्ता को बोली में भाग लेने से पूर्व रूपये 2000 / – की अमानत राशि समिति के समक्ष जमा करानी होगी जो कि असफल निविदाकर्ताओं को लौटा दी जावेगी ।
14. सफलतम निविदाकर्ता को जमानत राशि (सुरक्षा राशि) रूपये 5000 / – जमा करानी होगी। जो कि अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध पूर्ण होने के बाद लौटा दी जायेगी।
15. संस्थान के सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय को ही अन्तिम माना जावेगा एवं सभी को मान्य होगा।

16. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से प्रत्येक माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
17. पाला पत्तियो को निकालने के उपरान्त अनुबन्धकर्ता झाडियो के अवशेषो को निःशुल्क संस्थान से बाहर ले जा सकता हैं।
18. संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
19. पाला पत्तियो की कटाई/बंटवारे तक देखभाल की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
20. संस्थान के किसी कार्य में अनुबन्धकर्ता की ओर से किसी भी तरह का व्यवधान या नुकसान होने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता से वसूल की जावेगी।
21. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वंय जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वंय के खर्च पर करनी होगी एवं संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ती राशि नहीं दी जावेगी।
22. पाला पत्तियो को एकत्रित करने से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
23. संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताए जारी कार्य आदेश/अनुबन्ध को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

(श्याम सिंह)
प्रभारी, प्रक्षेत्र अनुभाग

वितरण :–

1–नगरपालिका, मालपुरा/टोडारायसिह
2–ग्राम पंचायत चांदसेन/डिग्गी/धोली/टोरडी/कडीला
3–पंचायत समिति, मालपुरा
4–प्रभारी, एकेएमयू (संस्थान की बैब–साईड पर अपलोड करने के लिए)
5–सभी सूचना पट्ट
6–प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग
7–मालपुरा मण्डी
8–प्रभारी, कय एवं भण्डार अनुभाग
9–प्रभारी, वित्त एवं लेखा अनुभाग
10–प्रभारी, प्रशासनिक अनुभाग द्वितिय
11–प्रभारी, टी.ओ.टी. एण्ड एस.एस. को अंगीकृत क्षेत्र के कृषको में प्रचार–प्रसार हेतु